

**मांग संख्या 15**  
**मुख्य शीर्ष 2405**

**मद क्रमांक 1**

हितग्राही की स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर उन्नत रूप से मछलीपालन योजना पर राशि ₹ 52.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 52,50,000 का प्रावधान किया गया है।

**मांग संख्या 16**  
**मुख्य शीर्ष 2405**

**मद क्रमांक 1**

नवनिर्मित चायनीज हैचरी ग्राम चरोदा जिला जांजगीर-चांपा एवं ग्राम भोरिंग जिला महासमुंद में प्रति हैचरी 04 पद के मान से 8 पदों हेतु राशि ₹ 20.62 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन लेवल	पदों की संख्या
1	सहा. मत्स्य अधिकारी	9	2
2	मत्स्य जमादार	2	4
3	चौकीदार	1	2
कुल योग			8

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 20,62,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक 2**

मात्स्यकी महाविद्यालय कवर्धा हेतु 34 पदों के सृजन एवं वेतन भत्तों पर राशि ₹ 248.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन लेवल	पदों की संख्या
1	प्राध्यापक	37400-67000+10000	4
2	सह प्राध्यापक	37400-67000+9000	6
3	सहायक प्राध्यापक	15600-39100+6000	7
4	प्रशासकीय अधिकारी /सहायक कुल सचिव	12	1
5	सहायक संचालक (छात्र कल्याण)	12	1
6	चिकित्सा अधिकारी	12	1
7	पी.टी.आई./सहायक प्राध्यापक	12	2
8	अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी	10	2
9	प्रयोगशाला तकनीशियन	7	2
10	सहायक वर्ग-3	4	3
11	प्रयोगशाला परिचारक	3	2
12	भृत्य/मेसेन्जर	1	3
कुल योग			34

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,48,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक 3 से 5**

मैपिंग ऑफ स्मालर वाटर बाडीज प्रोजेक्ट (लागत 103 लाख) हेतु राशि ₹ 51.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 51,50,000 का प्रावधान किया गया है।

**मांग संख्या 16  
मुख्य शीर्ष 4405**

**मद क्रमांक 6**

मात्स्यकी महाविद्यालय कबीरधाम के परिसर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं आंतरिक सड़क निर्माण हेतु राशि ₹ 425.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 4,25,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मांग संख्या 80  
मुख्य शीर्ष 2405**

**मद क्रमांक 1**

हितग्राही की स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर उन्नत रूप से मछलीपालन योजना पर राशि ₹ 140.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,40,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मांग संख्या 82  
मुख्य शीर्ष 2405**

**मद क्रमांक 1**

हितग्राही की स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर उन्नत रूप से मछलीपालन योजना पर राशि ₹ 122.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,22,50,000 का प्रावधान किया गया है।